email:enam@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

कमांकः–प.24 / निकृवि / ई–नाम / नवाचार / 2020 / 29041–42 दिनांकः 12.10.21

निदेशक,
लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली–110016,
E-Mail- sfac@nic.in

विषयः– ई–नाम पोर्टल पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई कृषक उपहार योजना के अनुसार प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 34(A) मे प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य मे कृषक उपहार योजना लागू की गई है। कृषि उपज को ई–नाम के माध्यम से विक्रय करने एवं ई–नाम पोर्टल के माध्यम से ई–भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन हेतु यह योजना लागू की गई है। यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को ई–नाम पोर्टल के माध्यम से विक्रय करेंगे एवं ई–नाम पोर्टल के माध्यम से उन्हें उपहार योजना के अंतर्गत कूपन जारी किये जायेंगे।

योजना के अंतर्गत विक्रीत कृषि उपज के विक्रय मूल्य तथा ई–भुगतान की विक्रय पर्चियों पर प्रति रू. 10,000 की राशि पर एक उपहार कूपन क्रमांक अथवा इसके गुणक पर निर्धारित संख्या मे उपहार कूपन नम्बर ई–नाम सॉफ्ट्वेयर से जारी किये जावेंगे। कम्प्यूटर मे सभी कूपनों के नम्बर इन्द्राज करने के पश्चात् लॉटरी विभाग द्वारा ई–नाम सॉफ्ट्वेयर से निकाले जायेंगे।

योजना के अंतर्गत गेट पास की विक्रय पर्चियों पर तथा ई–भुगतान की विक्रय पर्ची पर दो श्रेणियों मे यह कूपन जारी कर प्रत्येक छः माह मे मण्डी स्तर पर तथा खण्ड स्तर पर तीन–तीन पुरस्कार तथा राज्य स्तर पर वर्ष मे एक बार तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। अतः ई–नाम पोर्टल पर जारी विक्रय पर्चियों एवं ई–भुगतान की विक्रय पर्चियों के अनुसार कूपन नम्बर जारी कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावे। सुलभ संदर्भ हेतु कृषक उपहार योजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : कृषक उपहार योजना की प्रति।

(सोहनलाल शर्मा)
निदेशक
कृषि विपणन

कमांकः–प.24 / निकृवि / ई–नाम / नवाचार / 2020 / दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. राज्य समन्वयक, ई–नाम (राजस्थान), नागार्जुना फर्टिलाईजेशन एण्ड कैमिकल लि0, हैदराबाद।

Sd-
निदेशक
कृषि विपणन